

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फ़ैजी
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना

पटना, दिनांक.....

विषय:- प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) अन्तर्गत 23वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गीतावास, रानीगंज, जिला अररिया (01 इकाई) के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त केन्द्रांश मद की कुल राशि ₹37.30 लाख (सैंतीस लाख तीस हजार रुपये) मात्र तथा समानुपातिक द्वितीय किस्त राज्यांश मद की कुल राशि ₹24.86 लाख (चौबीस लाख छियासी हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹62.16 लाख (बासठ लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

प्रसंग:- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना का पत्रांक-1775, दिनांक- 02.06.2023

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) अन्तर्गत 23वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गीतावास (01 इकाई) के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी कार्यकारी एजेंसी -बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना है। कार्यकारी एजेंसी, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रासंगिक पत्र के माध्यम से द्वितीय किस्त की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध एवं कार्य की प्रगति को देखते हुए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गीतावास (01 इकाई) के भवन निर्माण हेतु अक्रियान्वित/ड्रॉप की गयी योजना की राशि (विभागीय स्तर पर खोली गयी एस०एन०ए०) से द्वितीय किस्त केन्द्रांश मद की राशि ₹37.30 लाख (सैंतीस लाख तीस हजार रुपये) मात्र तथा समानुपातिक द्वितीय किस्त राज्यांश मद की राशि ₹24.86 लाख (चौबीस लाख छियासी हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹62.16 लाख (बासठ लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न तालिका के अनुरूप व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रुपये में)

जिला	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र	E.C.	परियोजना का नाम	अनुपात	इकाई	इकाई लागत	निर्धारित केन्द्रांश की राशि	निर्धारित समानुपातिक राज्यांश की राशि	राज्यांश की द्वितीय किस्त के रूप में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	केन्द्रांश की द्वितीय किस्त के रूप में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	द्वितीय किस्त के रूप में व्यय हेतु स्वीकृत कुल (केन्द्रांश + राज्यांश) राशि (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARARIA	RANIGANJ	23 rd	Const. of Additional Primary Health Centre in Geetawas	60:40	1	124.31	74.59	49.72	24.86	37.30	62.16
Total:-					1		74.59	49.72	24.86	37.30	62.16

02. उप सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- MsDP-17/1/2021-MsDP-MOMA, दिनांक- 16.08.2021, Computer No. 127434 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के पास अक्रियान्वित योजनाओं की विमुक्त परन्तु अव्यवहृत राशि का उपयोग क्रियान्वित हो रही योजनाओं में किया जा सकता है।

03. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- MsDP-21/17/2021-MsDP-MOMA, दिनांक- 29.04.2022 के साथ संलग्न वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालयी ज्ञापांक- F.No. 1(13)PFMS/FCD/2020, दिनांक- 23.03.2022 के आलोक में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राशि का कोष प्रवाह/व्यय Single Nodal Account के माध्यम से किया जाना है।

04. State Scheme Manager (निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना), प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Scheme Code- BR149) द्वारा उक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹37.30 लाख एवं द्वितीय किस्त समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹24.86 लाख, कुल ₹62.16 लाख मात्र की अधिसीमा (Limit), Single Nodal Agency (निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना (Agency Unique Code- BRPA00009367 & Scheme Code- BR149), प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिये निर्धारित करेंगे। तदुपरान्त Single Nodal Agency, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, कार्यकारी एजेंसी- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (Unique Agency Code - BRPA00010919) को PFMS के माध्यम से उक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹37.30 लाख एवं द्वितीय किस्त समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹24.86 लाख, कुल ₹62.16 लाख मात्र की अधिसीमा (Limit) निर्धारित करेंगे। कार्यकारी एजेंसी- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (Unique Agency Code - BRPA00010919) द्वारा द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि ₹37.30 लाख एवं द्वितीय किस्त समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹24.86 लाख, कुल ₹62.16 लाख मात्र का व्ययन किया जायेगा।

05. कार्यकारी एजेंसी, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का Geo-tagging कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

06. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
07. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक 4989/वि० दिनांक 16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कड़िकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अपेक्षित होगा।
08. स्वीकृत एवं आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
09. योजना का क्रियान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अंतर्गत किया जाएगा एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।
10. इस योजना की राशि की निकासी हेतु विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श संचिका संख्या-अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169) के Note 8 पर प्राप्त है।
11. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169)...../पटना, दिनांक.....2023
प्रतिलिपि:- State Scheme Manager, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम- सह- Single Nodal Agency-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169)...../पटना, दिनांक.....2023
प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169)...../पटना, दिनांक.....2023
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169)...../पटना, दिनांक.....2023
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169)...../पटना, दिनांक.....2023
प्रतिलिपि:- सुश्री श्वेता अनिन्द्या, क्षेत्रीय प्रमुख, संस्थागत व्यापार समूह, ICICI बैंक लिमिटेड, पटना- 800001/शाखा प्रबंधक, शाखा दुजरा, पटना, ICICI बैंक लिमिटेड, श्रीराज कॉम्प्लेक्स, 117A, अशोक राजपथ, दुजरा, पटना- 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

E-mail

ज्ञापांक:- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169)...../पटना, दिनांक.....2023
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

E-mail

ज्ञापांक:- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169)...../पटना, दिनांक.....2023
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, प० दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०स०क०-07-ग-एम०-32/2018 (E-329169).....526/पटना, दिनांक.....22.12.2023
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

22/12